भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 897

07 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में वृद्धि

897. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अधिक निवेश देश में स्टेनलेस-स्टील क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत में स्टेनलेस स्टील की मांग अगले कुछ वित्तीय वर्षों में सालाना औसतन 10% बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 4.5% की वृद्धि दर दुगुनी हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014 से इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए दी जा रही राजसहायता सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात क्षेत्र में निजीकरण का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और उत्पादित इस्पात के प्रकार से संबंधित निर्णय अलग-अलग इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार मांग और अन्य वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं।

(ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में तैयार कुल स्टेनलेस स्टील की खपत संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं और जो इन 5 वर्षों की अवधि के दौरान 5.5% के सीएजीआर को दर्शाते हैं।

वित्तीय वर्ष	**कुल तैयार स्टेनलेस स्टील खपत (एमटी)**
2018-19	3.03
2019-20	2.71
2020-21	2.39
2021-22	3.04
2022-23	3.43
सीएजीआर%	5.5
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; एमटी= मिलियन टन	

जारी....2-

(ग): वर्ष 2014 से इस्पात क्षेत्र को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है तथापि, इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाने और 'मेक इन इंडिया', को बढावा देने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का क्रियान्वयन।

ii. देश के अंदर विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

iii. देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात हेतु समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए संभावित उपयोगकर्ताओं जिसमें रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र शामिल हैं, के साथ मेक इन इंडिया पहल और पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

iv. भारतीय इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए इस्पात उत्पादों पर कारोबारी सुधारात्मक उपायों के साथ अंशांकन (केलिब्रेशन) सहित इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।

v. अधिक अनुकूल शर्तों पर इस्पात विनिर्माण हेतु कच्चे माल की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करना।

(घ): युक्तिपूर्ण विनिवेश संबंधी नीति आर्थिक सिद्धांतो पर आधारित होती है जिसमें सरकार को ऐसे क्षेत्रों को छोड़ देना चाहिए जहां प्रतिस्पर्धात्मक बाजार पुराने हो गए हो और पूंजी का निवेश प्रौद्योगिकीय उन्नयन और कुशल प्रबंधन पद्धतियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण रणनीतिक निवेशकों के हित में ऐसे उद्यमों की आर्थिक संभाव्यता बेहतर ढंग से खोजी जा सकती है।

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उनकी इकाइयों जिनको आर्थिक कार्य संबधी मंत्रिमंडलीय समिति का वर्ष 2016 में युक्तिपूर्ण विनिवेश हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त हुआ है का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**पीएसयू/सहायक कंपनियां/इकाइयां**
1.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल), एमएसटीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी
2.	एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार इस्पात संयंत्र [एनएमडीसी इस्पात लिमिटेड (एनएसएल)]
3.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की इकाइयां • सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम • अलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर • विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र, भद्रावती
4.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

*****